संख्या-55/2026/I/1275815/2026/71-1001(099)/188/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 23 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/413, दिनांक 10.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ई०पी०सी० मोड पर अनुमोदित निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित धनराशि रू0 5600.00 लाख में से प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज आगरा द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज आगरा के लेडी लायल परिसर विस्तारीकरण योजना हेतु रू0 5298.731 लाख स्वीकृति करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-127/2023/I/387598/2023-71-1001(099)/188/2021, दिनांक 14.09.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 450.9376 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अब तक कुल **रू0 10484.085 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(रू0 लाख में)

क्र0	शासनादेश संख्या/दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	संख्या-127/2023/I/387598/2023-71-1001(099)/188/2021, दिनांक 14.09.2023	484.085
2	संख्या-91/2024/I/670861/2024/71-1001(099)/188/2021, दिनांक 20.06.2024	5000.00
3	संख्या-148/2025/I/1119980/2025/71-1001(099)/188/2021, दिनांक 17.10.2025	5000.00
	योग-	**10484.085**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से **रू0 4311.225 लाख** एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-789-09-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु मानक मद-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से **रू0 987.506 लाख**, इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अनुमन्य अवशेष धनराशि **रू0 5298.731 लाख (रू0 बावन लाख अट्ठानवे लाख तिहत्तर हजार एक सौ मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
5. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-127/2023/।/387598/2023-71-1001(099)/188/2021, दिनांक 14.09.2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 43,11,22,500 (रुपये तैंतालीस करोड़ ग्यारह लाख बाईस हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031053800 मेडिकल कालेज आगरा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 9,87,50,600 (रुपये नौ करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार छह सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037890900 राजकीय मेडिकल कालेज,आगरा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी,आगरा।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।